कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

//तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना पत्र//

क्रमांक/रा0वि0/न0पा0नि0/2021 24 भिलाई दिनांक 7.1.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु इच्छुक व्यक्ति एजेंसी/फर्म कंपनी जो नगर निगम भिलाई में विज्ञापन एजेंसी के रूप मे पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सीलबंद लिफाफे मे दिनांक 20.01.2022 को अपरान्ह 5.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 21.01.2022 को उपस्थित निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधी के समक्ष दोपहर 2.30 बजे आयुक्त महोदय द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जावेगी। निविदा त्रृ लिफाफा पध्दति पर आधारित रहेगी जिसका लिफाफा 'अ' में निविदा दाता को जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्षों की आयकर रिर्टन की छायाप्रति तथा शपथ पत्र जिसमें इस बात का उल्लेख हों कि वह किसी भी निकाय अथवा शासकीय विभाग में काली सूची में शामिल नहीं है, अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा 'ब' में अमानत राशि नीचे दर्शाये अनुसार का एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पक्ष में बना हो तथा निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दर का 50% की राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा एवं 'स' में निविदादाता द्वारा प्रदत्त दर होगा। तीनो लिफाफा अलग अलग सीलबंद कर एक बडे लिफाफे में डालकर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई में स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से 20.01.2022 को 5.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, विलंब से आने वाले दरो पर विचार नही किया जावेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 17.01.2022 को दोपहर 3.00 बजे तक रूपये 2000.00 का बैंक ड्राफ्ट जमा कर राजस्व विभाग से प्राप्त की जावेगी उक्त राशि वापसी अयोग्य होगी। उपरोक्त फार्म हेतु ठेका अवधि अधिकतम 5 वर्ष होंगी जिसमे नियम शर्तों के आधार पर प्रतिवर्ष दर वृध्दि अनुसार राशि निविदादाता द्वारा जमा की जावेगी।

निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-

क0	विज्ञापन जोन मार्ग	लोकेशन	बोर्ड की संख्या	न्यूनतम राशि	अमानत राशि (रू. में)
1	मुख्य मार्ग जी0ई0रोड	1. नेहरूनगर ईसाई कब्रिस्तान से सुपेला चौक पूर्व तक	94	20,32,613.00	1,01,631.00
		2. सुपेला चौक पूर्व से पा0हा0चौक पश्चिम तक	64	10,87,356.00	54,368.00
		3.पा0हा0चौक पूर्व से खुर्सीपार नहर नाली तक	34	6,42,568.00	34,128.00
2	मुख्य मार्ग-2	1. जुनवानी एम0 आर0 9 से डी0 पी0 एस0 जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक।	83	8,75,114.00	43,756.00
		2. सुन्दर नगर से छावनी चौक, (गौरव पथ रोड)	26	1,83,518.00	9,176.00
		3.पा0हा0चौक से ए0सी0 सी0 चौक तक ।	16	1,21,795.00	6,090.00

3	आंतरिक मार्ग	1. नेहरूनगर चौक से के0 पी0 एस0 एवं के0पी0एस0 से अपोलो बी0 एस0आर0 चौक तक।	41	2,82,216.00	14,111.00
		2. अवंतीबाई चौक के आगे से एम0आर0 10, रूंगटा कालेज तक।	20	1,35,284.00	6,764.00
		3. पेट्रोलपंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम0 आर0 20 तक।	15	1,12,334.00	5,617.00
		4. सुपेला चौक से रेल्वे कासिंग तक निगम की भूमि पर।	04	42,277.00	2,114.00
		5. रेल्वेकासिंग नेहरूनगर से ग्रांड ढिल्लन होटल के सामने तक	03	46,986.00	2,349.00

टीपः– निविदा का विस्तृत विवरण नियम व शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

6.1.22

अधीक्षक (विज्ञापन)
नगर पालिक निगम
भिलाई

विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु निविदा की नियम–शर्ते

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन (होर्डिंग) लगाने वाले क्षेत्र को विभिन्न विज्ञापन जोन में बांटा गया है तथा यह उप विधियां विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप–विधियां 2012 कहलाएंगी। विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग) लगाने हेतु स्थल निविदा के माध्यम से अधिकतम दरदाता को सक्षम स्वीकृति उपरांत अनुमति दिया जावेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क0	विज्ञापन जोन मार्ग	लोकेशन	बोर्ड की संख्या	बोर्ड का कुल आकार (व.फु. मे)	न्यूनतम दर (प्रति व.फु.मे)	न्यूनतम राशि	अमानत राशि (रू. में)
1	मुख्य मार्ग जी0ई0रोड	1. नेहरूनगर ईसाई कब्रिस्तान से सुपेला चौक पूर्व तक	94	27435	74.09	20,32,613.00	1,01,631.00
		2. सुपेला चौक पूर्व से पा0हा0चौक पश्चिम तक	64	14756	73.69	10,87,356.00	54,368.00
		3.पा0हा0चौक पूर्व से खुर्सीपार नहर नाली तक	34	8400	76.50	6,42,568.00	34,128.00
2	मुख्य मार्ग–2	1. जुनवानी एम0 आर0 9 से डी0 पी0 एस0 जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक।	83	16600	52.72	8,75,114.00	43,756.00
		2. सुन्दर नगर से छावनी चौक, (गौरव पथ रोड)	26	5200	35.29	1,83,518.00	9,176.00
		3.पा0हा0चौक से ए0सी0 सी0 चौक तक ।	16	3200	38.06	1,21,795.00	6,090.00
3	आंतरिक मार्ग	1. नेहरूनगर चौक से के0 पी0 एस0 एवं के0पी0एस0 से अपोलो बी0 एस0आर0 चौक तक।	41	8200	34.42	2,82,216.00	14,111.00
		2. अवंतीबाई चौक के आगे से एम0आर0 10, रूंगटा कालेज तक।	20	4000	33.82	1,35,284.00	6,764.00
		3. पेट्रोलपंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम0 आर0 20 तक।	15	3000	37.44	1,12,334.00	5,617.00
		4. सुपेला चौक से रेल्वे कासिंग तक निगम की भूमि पर।	04	800	52.85	42,277.00	2,114.00
		5. रेल्वेकासिंग नेहरूनगर से ग्रांड ढिल्लन होटल के सामने तक	03	600	78.31	46,986.00	2,349.00

1. विज्ञापन बोर्ड लगाने, ठेका हेतु **निविदा प्रपत्र निगम में 2000/– (दो हजार रू0) जमा कर दिनांक 17.01.2022 तक कार्यालयीन दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की** जा सकती है ।

क्रमशः–

2. एजेन्सी द्वारा तीन लिफाफा पध्दति से प्रस्ताव दिया जावेगा। लिफाफा 'अ' में निविदा दाता को जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्षो की आयकर रिटर्न की छायाप्रति, तथा शपथ पत्र जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि वह किसी भी निकाय अथवा शासकीय विभाग में काली सूची में शामिल नहीं है, अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा 'ब' में उपरोक्तानुसार अमानत राशि का एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पक्ष में बना हो तथा निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दर का 50% की राशि का बैंक ड्राफ्ट का प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा 'स' में निविदा फार्म में स्पष्ट रूप से अपनी दरों को प्रति वर्गफुट अक्षरी एवं शब्दो में लिख कर प्रस्तुत करना होगा। जिसमें किसी भी प्रकार की काट छांट या ओवर रायटिंग मान्य नहीं होगा।

लिफाफा 'अ' में प्राप्त होने पर लिफाफा 'ब' खोला जायेगा एवं उसमें पात्रता होने पर अंत में दरों का लिफाफा 'स' खोला जायेगा उक्त तीनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में डाल कर दिनांक 20.01.2022 को कार्यालयीन समय शाम 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से प्रस्तुत करना होगा। समय सीमा में अप्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. **अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोडकर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात् मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार के एफ.डी.आर. को सफल संचालन एवं संधारण के साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत, नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।**

4. **विज्ञापन बोर्ड केवल 20फुट x 10फुट आकार हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है, यदि विज्ञापन एजेन्सी इससे अधिक या बड़ा होर्डिंग लगाना चाहेगें तो इसकी अनुमति स्थल उपलब्ध होने पर उस क्षेत्र के श्रेणी हेतु प्राप्त अधिकतम राशि के समानुपातिक राशि जमा करने पर निगम द्वारा सक्षम स्वीकृति उपरांत लगाया जावेगा अथवा बड़ा आकार का बोर्ड लगे होने पर समानुपातिक राशि जमा करना होगा एवं भविष्य में विज्ञापन बोर्ड की संख्या में परिर्वतन होने पर आयुक्त महोदय की सक्षम स्वीकृति के तहत् सामानुपाति गणना कर राशि ली जावेगी।**

5. निगम के बकाया राशि से संबंधित किसी भी बकायादार को निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी। निगम के बकायादारों के द्वारा निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को होगा, तथा उसके द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट में से पूर्व बकाया राशि काटकर वापस की दी जावेगी ।

6. निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक दर पर ही निविदा भरना होगा, किसी भी निविदा में निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम दर प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

7. निविदादाता से प्राप्त अधिकतम दर स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को होगा।

8. विज्ञापन बोर्ड ठेका के निविदा की शेष राशि ठेका प्रारंभ होने के पश्चात् 6 माह के भीतर अग्रिम रूप से जमा करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं करने पर 7 दिनों के भीतर 100/— रू0 प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क सहित शेष बकाया राशि जमा कराया जा सकेगा। विलंब शुल्क सहित निर्धारित अवधि के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं करने पर विज्ञापन बोर्ड का ठेका निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित किया जावेगा। इसके लिये ठेकेदार का किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

क्रमशः—

9. विज्ञापन बोर्ड की ठेका (दर) कार्यादेश प्राप्ति दिनांक से एक वर्ष के लिये देना होगा। तथा 10–10 प्रतिशत वृद्धि कर चार बार प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जावेगा, इस प्रकार विज्ञापन बोर्ड लगाने की अवधि पांच वर्ष की होगी तथा नवीनीकरण की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम तथा 50 प्रतिशत राशि 06 माह के भीतर जमा करना होगा।

10. होर्डिंग यातायात में बाधक न हो तथा पूर्णतः जी0ई0रोड प्रभाव को छोड़कर लगाया जावेगा सड़कों के घुमावदार मोड़ पर होर्डिंग नहीं लगाये जावेगें। यह कि होर्डिंग को सदा अन्यत्र सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करना होगा और होर्डिंग को पूरी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संचालित एजेन्सी की होगी। किसी प्रकार की घटना/दुर्घटना की सम्पूर्ण जवाबदारी एजेन्सी/निविदादाता की होगी।

11. यह कि जब कभी निगम के द्वारा होर्डिंग के स्थल और या उसको मजबूती देने वाले ढांचे की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में प्रमाणित स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा तथा लगाये गये श्रेणी वार होर्डिंग की सूची निगम में प्रस्तुत करना होगा एवं अधिकतम दरदाता एजेन्सी के द्वारा अन्य एजेन्सी को बोर्ड दिये जाने पर विस्तृत विवरण सहित सूची निगम में प्रस्तुत करना होगा ।

12. ऐतिहासिक महत्व के भवनों, स्कूलों एवं कालेजों के प्रवेश द्वारो के निकट होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी ।

13. लगाये जाने वाले होर्डिंग में राष्ट्रीयता, सामाजिक, समरसता, छत्तीसगढ़ राज्य की गरिमा, क्षेत्रीयता, जाति, धर्म एवं अन्य जो जानबूझकर विद्वेश (प्रेरित करते हो) के संकेत को चिन्हित करते हो का उपयोग नही होना चाहिए एवं अश्लील विज्ञापन नही होना चाहिये।

14. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना होगा ।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर ठेका निरस्त करते हुए जमा राशि राजसात कर पुनः निविदा की कार्यवाही नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा की जावेगी ।

16. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । तथा ये उप विधियां विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप– विधियां 2012 कहलाएंगी एवं इस नियम शर्तें का अंग माना जावेगा।

17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम होगा एवं न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद क्षेत्र दुर्ग होगा।

18. पूर्व मे जो निविदा दाता किसी भी प्रकार की विज्ञापन एजेंसी को नगर निगम द्वारा काली सूची मे डाली गई है उन्हे निविदा में भाग लेने की पात्रता नही होगी।

19. नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी योजना के तहत जैसे फ्लाईओवर निर्माण, युनीपोल स्थापना से कोई विज्ञापन बोर्ड स्थल प्रभावित हो रहा है तो उसमे संबंधित एजेंसी को नगर निगम की सूचना पर विज्ञापन बोर्ड एक सप्ताह के भीतर हटाना होगा जिसके लिये किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

20. नगर निगम भिलाई या यातायात विभाग द्वारा जारी विज्ञापन निःशुल्क प्रदर्शित किया जाना होगा जिसका किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।

6.1.22

अधीक्षक (विज्ञापन)
नगर पालिक निगम
भिलाई